



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

| | |
|--|---|
| प्रेषक, सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी। | प्रेषित, सभी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक |
|--|---|

क्रमांक 10316/सै0

दिनांक:-17.02.2025

विषय:-सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2025 से सम्बन्धित प्रवेश-पत्र हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी किए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थियों के विवरणों में त्रुटियां रह जाती हैं तथा परीक्षार्थियों के फोटो/हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते हैं जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता है, इस कारण छात्रों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। बोर्ड निर्णय अनुसार परीक्षा आरम्भ होने उपरांत फोटो/हस्ताक्षर ठीक नहीं किये जायेंगे।

इस सन्दर्भ में अन्य दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढ़ता से पालना की जाए:-

1. प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट ए-04 साईज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है।
2. प्रवेश-पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाएं।
3. परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश-पत्र आप द्वारा सत्यापित किया जाना है।
4. दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय/विद्यालय/परीक्षा केन्द्र में दस्तावेज जैसे:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मैडिकल प्रमाण-पत्र, लेखक की सत्यापित दो फोटो, लेखक हेतु प्रार्थना-पत्र आदि जमा करवाने उपरांत दो जानी अनिवार्य है। लेखक से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ई0मेल/दस्ती बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने हैं।
5. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। प्रवेश-पत्र को लेमिनेशन न करवाएं, क्योंकि प्रवेश-पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर आएँ तथा परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे:-Smart Watch, Mobile, Calculator आदि का उपयोग वर्जित है।
7. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षार्थी पर्यवेक्षक द्वारा दी गई उत्तरपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या जांच लें। यदि किसी उत्तरपुस्तिका का कोई पृष्ठ/पेज फटा हुआ या गायब मिलता है तो पर्यवेक्षक को अवगत करवाते हुए दूसरी उत्तरपुस्तिका प्राप्त कर लें अन्यथा परीक्षार्थी का U.M.C. माना जायेगा।

—हस्ता0—

सहायक सचिव (सै0/सी0सै0)

कृते:सचिव

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायतें/निर्देश पढ़ लिए गए हैं तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाएगी। यदि समय रहते कोई त्रुटि ठीक नहीं करवाई जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

मुख्याध्यापक/प्राचार्य